भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3683

दिनांक 12 अगस्त, 2025 / 21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को शहीद का दर्जा

3683. श्री अमरा रामः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उन जवानों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के जवानों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा और पैकेज देने की योजना बना रही है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए और आतंरिक सुरक्षा के लिए काम करते हुए शहीद हो जाते हैं और यदि हाँ, तो सरकार का उन्हें यह दर्जा और पैकेज कब तक देने की योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ न लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उन किसानों की समस्या का समाधान करने की योजना बना रही है जिनकी भूमि बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): गृह मंत्रालय ने कार्रवाई के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को ''ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण- पत्र" जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके)/उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्योरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ख): त्रिपुरा में 856 किमी. (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) में से 827.838 किमी. में बाड़ पहले ही लगाई जा चुकी है।

(ग): त्रिपुरा राज्य में बाड़ लगाने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनके संबंध में ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3683 दिनांक 12.08.2025

अनुलग्नक-।

राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) के लिए लागू लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

(i) 25 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक एकमुश्त केन्द्रीय अनुग्रह मुआवजा।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 के अंतर्गत असाधारण/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन।

(iii) सेवा संबंधी अन्य सभी लाभ, यथा मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), आदि।

(iv) संबंधित बल की जोखिम/कल्याण/हितकारी निधि से, निधि के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि और अन्य वित्तीय सहायता।

(v) ऐसे कार्मिकों के नामों को 'भारत के वीर' नामक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 25 लाख रुपए तक का सार्वजनिक अंशदान। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को विभिन्न माध्यमों से कम से कम 1 करोड़ रुपये मिले। मारे गए विवाहित कार्मिक के माता-पिता को 'भारत के वीर' कॉर्पस से 10 लाख रुपए की और ड्यूटी के दौरान जख्मी होने के कारण सेवानिवृत्त (बोर्ड आउट) किए गए सीएपीएफ कार्मिकों को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

(vi) सीएपीएफ वेतन पैकेज स्कीम के अंतर्गत बीमा कवरेज।

(vii) निकटतम संबंधियों को कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट तथा रिटेल पेट्रोल पंपों के आवंटन आदि के लिए पात्र बनाने हेतु 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' जारी करना।

(viii) एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके बच्चों के लिए कोटा।

(ix) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत बालिकाओं के लिए 3000/- रुपए प्रति माह की दर से और बालकों के लिए 2500/- रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति।

(x) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार मुआवजे/सहायता का भुगतान।

*****